

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आई०ए०एस०

GCMS No. 2022/65

(Bank Case)

प्रकरण संख्या - 37/2022

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है। जय्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह।

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री नरेश कुमार अडवानी पुत्र श्री नारायणदास अडवानी (ऋणी / बंधककर्ता)
पता- 160, आर्य समाज रोड, रामपुरा, कोटा सिटी, जिला- कोटा, राजस्थान
2. सपना अडवानी (सहऋणी)
पता- 160, आर्य समाज रोड, रामपुरा, वार्ड नं. 50, जिला- कोटा,
राजस्थान- 324006

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 18-08-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 05.05.2015 को 4,95,000/- (अक्षरे चार लाख पिच्यानवे हजार रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सपना अडवानी की अचल सम्पत्ति ए-322 ए-322 थर्ड विदआउट स्लेब, वल्लभबाडी लिंक रोड, गुमानपुरा, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 162 वर्ग फीट है जो जय्ये विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2011 से श्रीमती सपना अडवानी पत्नी श्री नरेश कुमार अडवानी के नाम है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में- दुकान सं ए-321, पश्चिम में- दुकान सं. ए-323, उत्तर में- रास्ता पैसेज, दक्षिण में- अन्य निर्मित भाग जो पूर्व में विक्रय कर दिया है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.12.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 3,16,985/- (अक्षरे तीन लाख, सोलह हजार नौ सौ पिच्यसी रुपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 07.07.2021 तक शेष देय है व दिनांक 08.07.2021 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 10.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता सपना अडवानी की अचल सम्पत्ति ए-322 ए-322 थर्ड विदआउट स्लेब, वल्लभबाडी लिंक रोड, गुमानपुरा, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 162 वर्ग फीट है, जो जर्ज विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2011 से श्रीमती सपना अडवानी पत्नी श्री नरेश कुमार अडवानी के नाम है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- दुकान सं ए-321, पश्चिम में- दुकान सं. ए-323, उत्तर में- रास्ता पैसेज, दक्षिण में- अन्य निर्मित भाग जो पूर्व में विक्रय कर दिया है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 13/8/2022 को सुनाया गया।

3
18/8/2022
(ओ.पी. बुनकर)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)